प्रेषक,

महेश कुमार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या- 8, सहारनपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया,
सहारनपुर।

विषयः "माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated: July 16, 2024 के अनुपालन में शासनादेश संख्या- 14/2024/ सा-3-243/दस-2024/301)1) 2024 दिनाँक 28 जून 2024 के क्रम में पुरानी पेंशन के विकल्प के सम्बन्ध में।"

महोदया,

ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिको, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या Sa-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated 28.03.2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञप्ति संख्या ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर, 2003 के अन्तर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प-पत्र संलग्न किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदया से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के विकल्प-पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

(भवदीय)
(महेश कुमार)
(अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 8, सहारनपुर।)
(आई0 डी0– यू0 पी0 6484)

दिनाँकः 30–07–2024
स्थानः सहारनपुर।

संलग्नक : विकल्प-पत्र पुरानी पेंशन योजना हेतु।

कार्यालय–जिला न्यायाधीश, सहारनपुर
पत्रांक 1360 / XV-24 दिनांक 30/07/2024

अग्रसारित

जिला न्यायाधीश
सहारनपुर
30/07/2024

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2024.10.03 10:38:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court